


फर्द अहकाम

प्रभू वनाम नरेन्द्र

: सहायक कलक्टर, बस्सी दावा 33/2024
 र्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-----------------	----------------------	-------------

02.2024 यह दावा वादीगण ने अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादीगण अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 15.03.2024 को पेश हो।


 सहायक कलक्टर
 बस्सी जयपुर ग्रामीण

15/3/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहय कोच अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 22/10/24 को पेश हो।

22/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पेश शुदा नोटिस की तलबी जारी होकर दिनांक 21/5/24 को पेश हो।

21/5/24 पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. कोर/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/7/24 को पेश हो।

02/7/24 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। वादीगण स्वयं अनुपस्थित। न्यायालय समय तक बार बार आवाजे लगाई गई परन्तु ना तो वादीगण स्वयं हाजिर हुए ना ही इनमें से कोई अधिवक्ता आदि

फर्द अहकाम

पत्र

बनाम नरेन्द्र

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 33/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>हाजिर हुये ऐसी स्थिति में वादपत्र को जारी चलाये जाने का कोई अर्थव्यय नहीं है अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तत्काली दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;"><u>लगात</u></p>